संख्या:163/2015/1558जेएल/22-3-15-100(63)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2015***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रणविजय यादव पुत्र श्री रमाकान्त यादव, निवासी जनपद-देवरिया के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-16546/सामा-1(3)/वाराणसी मं0/2010, दिनांक 13-05-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सन्तकबीरनगर द्वारा दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रणविजय यादव पुत्र श्री रमाकान्त यादव को जिला कारागार, महराजगंज स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:163/2015/1558जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in